

सीकर जिले में कृषि विकास एवं सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन : एक अध्ययन

Pradeep Kumar
Student, Dept. of Geography, M. D. U. ROHTAK, HARYANA
Mail-pradeep.hasapuri@gmail.com

Abstract

भूमि को जोतने, फसल को उगाने और काटने, पशुओं को पालने और पशुधन को बढ़ाने के विज्ञान अथवा कला को कृषि के नाम से जाना जाता है। विस्तृत आधुनिक अर्थों में, 'कृषि' में मानव के लिये लाभदायक पौधों को उगाना और पशुओं को पालना आता है, अपितु इनके विपणन से सम्बन्धित कई प्रक्रियाएँ भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। इतिहास के आरम्भिक काल में मानव ने शनैःषनैः विकास किया क्योंकि उसके इर्दगिर्द का वातावरण नितान्त वनाच्छादित और जटिल था। मानव भी तकनीकी एवं भौतिक साधनों से इतना अधिक सक्षम नहीं था कि सरलता से वातावरण के प्रति समायोजन कर सके। वस्तुतः आदिकालीन मानव कंदमूल फल आदि के संग्रहण और मोटे अनाजों का उत्पन्न कर तथा मांस हेतु पशु-पक्षियों के पिकार, मछली आदि पकड़ने जैसी क्रियाओं द्वारा उदरपूर्ति करता था। अतएव पेड़-पौधों को रोपने, उपजाने आदि क्रियाओं से पूर्व मानव इन्हें उखेलने काटने आदि जैसी क्रियाओं में अभ्यस्त था

कृषि का उद्भव व विकास कब और कैसे हुआ, यह आजकल अनुसंधान व शोध का रोचक विषय है। इस विषय में कोई सरल मत नहीं है, परन्तु परम्परानुसार कृषि की उत्पत्ति क्रांतिकारी घटना है। पुरातात्विक स्थलों में उपलब्ध प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि कृषि का विस्तार व विकास क्रमिक रूप से घटित एक प्रक्रिया है। वस्तुतः अनेक पौधों को और पशुओं को विभिन्न कालों में अनेक स्थानों पर उपजाया और पाला जाता रहा है। मानव इतिहास के आरम्भ में दीर्घकाल तक कंदमूल खाद्य-वनस्पति संग्रहण और पशुओं का पिकार प्रभावी क्रियाएँ रहीं हैं। आज भी विष्व की अनेक आदिकालीन जन-जातियाँ इन क्रियाओं में लीन हैं। नियंडरी मानुषों (Homonids) और उनके वानरनुमा पूर्वज के भोजन का स्रोत स्थानीय वन ही थे। इसकी पुष्टि पुरा, मध्य एवं नव-पाषाण कालों के प्राचीन स्थलों की खुदाइयों द्वारा हो चुकी है।

मानव गाथाओं में कृषि की उत्पत्ति और पशुओं का पालन-पोषण मानव इतिहास में प्रमुख घटना है। नवीन जांच-पड़ताल से यह ज्ञात हुआ कि कृषि 10,000 वर्ष B.C. (वर्तमान से पूर्व) के आसपास आरम्भ हुई। इसका उद्भव दक्षिणी पश्चिमी एशिया में 8000 B.C. (ई.पू.) सुमेरियन काल के दौरान हुआ। जोहारी (Zohary, 1986) के अनुसार निकट-पूर्व (Near East) दक्षिणी-पूर्वी

एशिया प्रदेश के अनेक पुरा पाषाणकालीन आरम्भिक गांव जैसे जैरिको (Jericho), बेथासायदा (Bethsaida), हेबरां (Hebron), जेन (Ramad), हारॉ (Haran),

टेल-असवाद (Tell-Aswad), जरमो (Jermo), अली-कोष (Ali-Kosh) आदि पर हुई खुदाइयों से पता चला है कि 9000 B.C.(ई.पू.) तक खाद्य-फसल बोयी व काटी गई।

इस बात की पुष्टि के प्रबल प्रमाण हैं कि आइनकॉर्न गेहूँ (einkorn wheat (triticum 'monococcum') और जंगली जो ('hardeum spontaneum') 7000 B.C. के आसपास ईराक-ईरान सीमा पर स्थित अली-कोष (Ali-Kosh) पर उत्पन्न किये जाते थे। पुरातात्विक प्रमाण दर्शाते हैं कि फलियां (Phyaseolus), मटर (Pisum), बॉटिल कद्दूफल (lagenaria siceraria) और जल-चेस्टनट (trapa) उत्तरी थाइलैण्ड में स्प्रिट केव (Spirit Cave) पर लगभग और 7000 B.C. में उत्पन्न किए जाते रहे होंगे। अमेरिका में उत्तरी पूर्वी मेक्सिको की थेहुआकन घाटी (Tehuacan Valley) में लगभग 6000 B.C में कुकर बिट्टा (Pumpkin) व कद्दू (Lagenaria) उगाए जाते थे। फसलों की उपज व पशुपालन आरम्भ करने वाले जनसमुदाय बहुत-कुछ

स्थायी जन-जीवन प्रारम्भ कर चुके थे। आजकल की जन-जातियों के ज्ञान से यह प्रकट हो चुका है कि प्राचीन जनसमुदायों को जंगली पेड़-पौधों के गुणों का विस्तृत ज्ञान व उनके प्रति व्यावहारिक रुचि थी। नव पाषाणकालीन जनसमूह इस तथ्य से परिचित थे कि बीजों से पौधों का पुनरोत्पादन होता है। वे जानते थे कि पौधे के आसपास से जंगली घासफूस, कांस आदि साफ करने वह शीघ्र व अच्छी प्रकार बढ़ता है। प्रायः पुरुष षिकार के लिए निकल जाते थे, अतः महिलाएं ही पौधों की देखभाल करने में अग्रणीय थीं। आजकल भी जन-जातियों में दोहरी अर्थ-व्यवस्था है, पुरुष प्रायः षिकारी होते हैं स्त्रियां खाद्य-वस्तुएं संग्रहण करती है। अतः पेड़पौधों का बीजारोपण, उनका संवरण आदि का व्यावहारिक ज्ञान और उनके प्रति रुचि स्त्री वर्ग में ही अधिक थी। पौध व उपज के आरम्भ का श्रेय स्त्रियों को जाता है। स्थायी बसाव वाले जनसमुदायों में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्य-पदार्थों की मांग भी बढ़ी। इसने कृषि विकास को प्रेरित किया और ऐसे पेड़-पौधों व पशुओं के लालन-पालन में जनसमूह आगे बढ़े जो मानवों के लिए खाद्य दृष्टि से उपयोगी थे। खाद्य-वस्तुओं की उपलब्धि ने स्थायी अधिवास के अवसर प्रदान दिए। आवास के लिए पुख्ता घर, खेती के उपकरण जैसे मूसल, ओखली, सान-पत्थर, आदि व्यवहार में आने लगे। खाद्यान्न को भरने व सुरक्षित रखने के लिए बुखारी, कोष्ठ और खत्ती-कोठार आदि का प्रयोग व चलन प्रारम्भ हुआ। गड्डों के कोष्ठागारों में भोज्य पदार्थों के संग्रहण और अन्न भण्डारों की तकनीकी में भी विकास हुआ।

19 वीं शताब्दी का मध्यकाल कृषिय तकनीकी में वृहत विभाजक काल था। इंग्लैण्ड में 1779 ई. में इंजिन के आविष्कार ने खेती में भी क्रान्ति उत्पन्न की जिसके फलस्वरूप यूरोप की मध्ययुगीन कृषि प्रारूप में पूर्णतः परिवर्तन आया। भाप की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग अनाज से भूसा अलग करने की मशीनों और खेतों की सिंचाई करने वाले पम्पों में 19वीं शताब्दी के आरम्भ काल से हुआ। सन् 1890 में उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य के गेहूं उत्पादक खेतों में एक महत्त्वपूर्ण विकास 'ट्रेक्टर' का आगमन था। आईओवा(Iowa)का एक किसान जो लोहार भी था, जॉन फ्रोलिक (John Froelich) ने सन् 1892 में उसने गैसोलिन ट्रेक्टर बनाया। तदुपरान्त सन् 1910 में आन्तरिक दहन गैस इंजिन के ट्रेक्टर का विकास हुआ। सन् 1931 में डीजल इंजिन से चलने वाले ट्रेक्टर का

विकास हुआ जो अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में भी खींचने की शक्ति से संपन्न था।

ट्रेक्टर के आगमन ने घोड़ा, बैल, भैंस और खच्चर को शनैःषनै खेतों से हटाकर उनको निजात दिलायी और श्रम एवं पशुओं के लिए खाद्यान्न की बचत भी होना आरम्भ हुई। परिणामतः विष्व भर में सन् 1991 में ट्रेक्टरों का उत्पादन 2.25 करोड़ तक जा पहुंचा और इनमें से आधे से अधिक का निर्माण अकेले उत्तरी अमेरिका में हुआ। संयुक्त राज्य में इन तकनीकी परिवर्तनों का विस्मयकारी परिणाम सामने आया जहां पहले सन् 1800 में 95 प्रतिषत लोग खाद्यान्न उत्पादन करने हेतु फार्मों पर रहते थे व शेष 5 प्रतिषत अन्य व्यवसायों में जुटे हुए थे। आज वहां केवल 25 प्रतिषत फार्मों पर बसे लोग शेष 75 प्रतिषत जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर पर्याप्त मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में निर्यात हेतु भेजने में समर्थ है। इस आमूल परिवर्तन का श्रेय कृषि करने की नवीन तकनीक, विशेषतः ट्रेक्टरों, फसल काटने की मशीनों (harvesters) और खेतों में रासायनिक खाद के प्रयोग को जाता है। हांसिए का स्थान यूरोप में सन् 1930 में 'हारवेस्टर' ने लिया। रासायनिक खाद का आगमन सन् 1945 में सम्भव हुआ और कीटनाषक दवाओं (pesticides) की उपलब्धि द्वितीय विष्व युद्ध तक सम्भव नहीं हो सकी थी। अब खेती में अधिक उत्पादन हेतु नवीन तकनीक सहित इन नवाचारों जैसे रासायनिक खाद, कीटनाषक दवाओं, फफूंदनाषी, शाकनाषी, कृन्तकनाषी आदि का प्रयोग विकसित व विकासशील देशों के सम्पन्न-कृषकों द्वारा किया जा रहा है। कृषि विस्तार, उसमें गहनता और परिष्कृत तकनीक के प्रयोग ने विष्व के फसली-प्रारूप में मौलिक बदलाव उत्पन्न किया है। इस क्रांति से बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन और कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चा-माल मिला है, यद्यपि इन विकासों ने पर्यावरण को विपरीत दिशा में प्रभावित कर प्रदूषित किया है।

विश्व में सम्पूर्ण धरातलीय क्षेत्र का 11 प्रतिशत भू-भाग पर कृषि होती है। मानव के कार्यों में कृषि उद्यमों की प्रधानता होती है। कृषि शब्द हेतु अंग्रेजी में agriculture शब्द प्रयुक्त हुआ है। Agriculture शब्द लैटिन भाषा में अर्थ एग्रो से है जिसका अर्थ मिट्टी खेती की जोत से या कृषि कार्यों से है। इसी प्रकार संस्कृति शब्द का अर्थ-मानव की

अपनी जीवन यापन शैली से है। इस प्रकार मृदा पोषण क्रियाकलाप से न केवल मनुष्य फसलें ही प्राप्त करता है बल्कि पशुपालन व्यवसाय भी संचालित करता है। वर्तमान में कृषि के मूलभूत सिद्धान्त फसल चक्र को अपनाना भूल गए हैं। इसलिए कृषक केवल धन अधिक मात्रा में अर्जित करने के उद्देश्य से व नगदी फसलें उगा रहे हैं। जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है जिसके लिए अधिक भू-जल कर दोहन किया जाता है जिसके कारण भू-जल के ऊपरी जल स्रोत सूख रहे हैं व गहराई पर स्थित जल स्रोतों का जल दोहन करने से जल लवणीय हो रहा है इसलिए कृषि पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जैव तकनीकी का उपयोग कृषि एवं बागवानी फसलों की नई प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज के आधुनिक युग में ज्यादा पैदावार लेने के लालच में खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मृदा में जीवांश की मात्रा बढ़कर कृषि क्रियाओं में ऐसा आवश्यक बदलाव कर उत्पादन स्तर को बढ़ा सकते हैं। कार्बनिक खाद पोषक तत्वों की आपूर्ति के साथ मिट्टी में जीवांश की मात्रा बढ़ाते हैं। संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद व जैविक खाद का एक साथ इस्तेमाल ज्यादा लाभदायक रहता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की सदैव रीढ़ रही है। देश में चलाई जा रही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों द्वारा कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक गरिमापूर्ण दर्जा मिला है। अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल पर ही वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृषि का विकास किया जाए और उत्पादन को लगातार बढ़ाया जाए। फसलों की अच्छी और निरन्तर पैदावार के लिए विभिन्न आवश्यक तत्वों की मात्रा केवल रासायनिक उर्वरक द्वारा ही नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उर्वरकों का मूल्य सब्सिडी के बावजूद इतना अधिक है कि देश के अधिकतर किसान इतना मूल्य चूकाने में असमर्थ हैं दूसरी ओर अत्याधिक मात्रा में केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश के रासायनिक उर्वरकों के निरन्तर प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिससे फसलों का प्रति हैक्टियर उत्पादन व गुणवत्ता स्वतः गिरा है। भारत के कृषक परिवार खाद्यान्नों, बागवानी एवं पशुपालन उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करने में संक्षम हैं। मौसम की अनिश्चिता, मानसूनी वर्षा की कमी आर असंतुलित वितरण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जनित अनिश्चिताये बढ़ा दी है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए शस्य फसलों व

बागवानी फसलों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर देकर कृषि स्तर में बढ़ावा कर सकते हैं। मिट्टी की जांच करवाकर उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करके कृषि स्तर में बढ़ोतरी के साथ पर्यावरण सुरक्षित भी कर सकते हैं। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए लंबे शोध कार्यों से यह सिद्ध हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति के हास के साथ ही फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सिमटते भूमि और जल संसाधनों के कारण सतत कृषि को अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में कृषि पैदावार में गिरावट व पारिस्थितिक असंतुलन के साथ मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाली कुछ संकर प्रजातियों के उपयोग के कारण फसलों की देशी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अतः इन देशी प्रजातियों में ज्यादा पोष्टिकता होती है। सतत कृषि में वर्षा जल संचय, जल विभाजक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वर्षा जल का अधिक से अधिक उपयोग कृषि कार्यों हेतु किया जा सके। कृषि ने मानव को स्थयी आवास की सुविधा दी है। कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों का अन्तराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सहायता के लिए 12 जुलाई 1982 को कृषि व ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। कृषि में व्याप्त समस्त दोषों ग्रामीण सहकारी की कमियों को दूर करने तथा किसानों को पर्याप्त मात्रा में सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलाने के लिए सहकारी संस्थाओं का विकास किया गया। हमारे पूर्वज पर्यावरण के साथ पूर्ण तालमेल से रहा करते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए वे प्रकृति को ही अपना पालनकर्ता मानते थे। पर्यावरण के प्रति उनके विकसित ज्ञान का अनुमान है कि आवश्यकता से अधिक फसल उगाने व चराई करने से मिट्टी का क्षरण होता है और उपजाऊ भूमि रेगिस्तानी भूमि में बदल जाती है। वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि हमारा पर्यावरण बहुत ही तेजी से दूषित हो रहा है। मानव द्वारा प्राकृतिक संतुलन में किए गए परिवर्तनों का परिणाम विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के रूप में देखने को मिल रहा है। पर्यावरण की दुर्दशा पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। वर्तमान में भारत में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी लगभग 200 कानून हैं। देश में पर्यावरण सम्बन्धी 1853 में बनाया गया पहला कानून शोर

एक था। 1974 में केन्द्रिय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का गठन किया गया। अब तक 24 राज्यों में प्रदूषण सम्बन्धित कानून पारित किए जा चुके हैं। रियो पृथ्वी सम्मेलन में तय किए गए वानिकी सिद्धान्त व राष्ट्रीय वन रीति के तहत देश की लगभग 33 प्रतिशत भूमि को वनाच्छादित करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए 14 जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र देश में स्थापित किए गए हैं। देश में नदियों को जल प्रदूषकों से मुक्त रखने के लिए 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की गई। इसके तहत 18 नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा। देश की महत्वपूर्ण झीलों को साफ करने के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना तैयार की गई थी। स्कुली बच्चों में पर्यावरण मंत्रालय ने इको क्लब की योजना आरम्भ की है।

कृषि एक अत्यन्त व्यापक कार्य है, जिसमें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। कृषि प्राकृतिक वातावरण पर आधारित है। विश्व के विभिन्न के विभिन्न भागों में इन कारकों में समानता नहीं होने के कारण इन में इस प्रकार संशोधन की कोशिश की जाती है कि इन कारकों की उपयोगिता बढ़ सकें साथ ही अवरोधक परिस्थितियों पर नियंत्रण करके उपलब्ध भौगोलिक दशाओं के अनुकूल भूमि उपयोग, फसल उत्पादन व तकनीक को विकसित करके प्राकृतिक सम्भावनाओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके। कृषि के कार्य क्षेत्रीय विभिन्नता, कृषि के विभिन्न तत्वों का स्थानीय विन्यास, कृषि संबंधी क्रियाओं के प्रतिरूपों में पाई जाने वाली विभिन्न दशाओं के साथ ही कृषक की सामाजिक, आर्थिक तकनीकी विकास के स्तर पर भी निर्भर करते हैं। कृषि फसलों के प्रादेशिक उत्पादन में घटत-बढ़त कृषि विकास, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी कारणों का परिणाम है। कृषि विकास के फलस्वरूप किसान नई तकनीक मशीनीकरण, रासायनिक उर्वरक नई किस्म के उन्नत बीज कीटनाशक औषधियाँ सिंचाई के नवीनतम साधनों आदि को अपनाते हैं और अन्ततः वह उच्च उत्पादन के रूप में परिलक्षित होता है।

कृषि विकास से जिले में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। सामाजिक-आर्थिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक परम्पराओं में भी परिवर्तन हुआ है। सामाजिक रीति-रिवाजों, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन आदि में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जिले में कृषि

विकास व सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की जिज्ञासा और बढ़ी है। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में बढ़ता हुआ कृषि विकास, समृद्धशीलता व कल्याणकारी कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए उस प्रदेश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। जिले की अर्थ व्यवस्था का आधार स्तम्भ कृषि है। अतः भूमि और कृषि का महत्व बहुत अधिक है। भूमि का एक बड़ा हिस्सा खराब हालत में है। जिसे कृषि विकास द्वारा कृषि के उपयोग योग्य बनाया जा सकता है।

सीकर जिला राजस्थान के अर्द्धमरुस्थलीय भाग में स्थित है। गत वर्षों में जिले में कृषि विकास के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। भूमि उपयोग में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। नई नई तकनीकी के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर भी उत्पादकता कम है, क्योंकि इसके साथ ही जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन भूमि, जन का न होना और कम व अविश्वसनीय वर्षा का कमजोर आधार है। चूंकि अभी तक इस क्षेत्र में इस प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ है, अतः अध्ययन करना इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिले में कृषि विकास व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को ज्ञात करना है जिससे भूमि व कृषि की समस्याओं के समाधान से भूमि की उत्पादकता को सुधारा जा सके, जिससे जिले के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, साथ ही इसके माध्यम से कृषि योजना निर्माताओं प्रशासकों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को जो जिले के कृषि विकास योजनाओं में संलग्न हैं, लाभान्वित होकर कृषि विकास के लिए उचित योजना का निर्धारण कर सके इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कृषि विकास के लिए क्या-क्या नए संसाधन जुटाने के प्रयास किए जावें व इस क्षेत्र में हुए कृषि विकास व सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन व विश्लेषण कर अन्य क्षेत्रों में भी इसे प्रयोग में लाया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल एन.एल.(1900) : भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर



2. अग्रवाल एम.डी. एवं ओ.पी. गुप्ता, (2000) :
भारत में आर्थिक पर्यावरण, रमेश बुक डिपो,
जयपुर
3. अली मोहम्मद (1980) : कृषि उत्पादकता के
स्तर में प्रादेशिक असंतुलन
4. अनिता एच.एस.(2002) : एग्रीकल्चरल मार्केटिंग,
मंगलदीप पब्लिकेपन्स, जयपुर
5. एस्टोन, जे. और एस. जे. रोगर्स(1967) :
इकोनोमिक चेन्ज एण्ड एग्रीकल्चर, एडीनवर्ग –
ओलिवर एण्ड बोयड
6. बघेल, महिपाल सिंह व रामोतार पोरवाल(1991)
: आधुनिक कृषि विज्ञान, राजस्थान प्रकाशन,
जयपुर